<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अम्बेडकरनगर।</u>

सिविल निगरानी सं0–01/2019

विनय कुमार सिंह–बनाम–फूलचन्द्र

<u>सी.एन.आर.नं0–यूपीएएन010000662019</u>

<u>15.12.2021</u>

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 13ग2 अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम, 9क1 अन्तर्गत आदेश–22 नियम–4 व आदेश–6 नियम 17 सी.पी.सी. एवं प्रार्थनापत्र 11क अन्तर्गत आदेश–22 नियम–4 व आदेश–6 नियम–17 सी0पी0सी0 पर बल दिया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **प्रार्थनापत्र 11क का निस्तारण मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक–28.01.2020 को करते हुए प्रार्थनापत्र 11क को स्वीकार करने का आदेश पारित किया गया है, तथा संशोधन हेतु अन्दर सप्तहा का समय दिया गया। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन अभीतक नहीं किया गा है तथा संशोधन करने की सीमा भी समाप्त हो चुकी है।**

प्रार्थनापत्र 13ग2 प्रार्थी विनय कुमार सिंह द्वारा अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि विपक्षी सं0–8 राजबली की मृत्यु दिनांक–17.01.2015 को हो गयी है। निगरानीकर्ता को विपक्षी सं0–8 के मरने की कत्तई कोई जानकारी नहीं थी। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने मूलवाद में उसके मरने की सूचना न्यायालय में नहीं दिया था इसलिए अवर न्यायालय में कायम मुकामी प्रस्तुत नहीं की जा सकी। नोटिस की वापसी पर विपक्षी सं0–8 के मरने की जानकारी हुई तब निगरानीकर्ता ने मरने की तिथि व कायम मुकाम के बारे में जानकारी करके अविलम्ब यह कायम मुकामी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है। उसने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में जानबूझकर विलम्ब कारित नहीं किया है। विलम्ब उपरोक्त कारण वश हुआ है जो हर दशा में क्षमा होने योग्य है। अतः प्रार्थी को धारा–5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए कायम मुकामी प्रार्थनापत्र मियाद अन्दर मानने की याचना की गयी।

विपक्षीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी सं0–8 राजबली सिंह की मृत्यु दिनांक–17.01.2015 को हुई है। प्रार्थी द्वारा कायम मुकामी प्रार्थनापत्र दिनांक–25.05.2019 को प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थी का कथन है कि प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने मूलवाद में उसके मरने की सूचना न्यायालय में नहीं दिया था इसलिए अवर न्यायालय में कायम मुकामी प्रस्तुत नहीं की जा सकी। नोटिस की वापसी पर विपक्षी सं0–8 के मरने की जानकारी हुई तब निगरानीकर्ता ने मरने की तिथि व कायम मुकाम के बारे में जानकारी करके अविलम्ब यह कायम मुकामी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में प्रार्थनापत्र कायम मुकामी विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का पर्याप्त कारण दर्शित किया गया है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थनापत्र 13ग2 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 13ग2 अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। मृतक विपक्षी सं0–8 राजबली की कायम मुकामी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। पत्रावली लंच बाद 9क1 के निस्तारण हेतु पेश हो।

तृतीय अपर जिला न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर
15.12.2021

15.12.2021

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। प्रार्थनापत्र 9क1 पर सुना गया।

प्रार्थनापत्र 9क1 प्रार्थी विनय कुमार सिंह द्वारा अन्तर्गत आदेश–22 नियम–4 व आदेश–6 नियम–17 सिविल प्रक्रिया संहिता इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी सं0–2 राजबली की मृत्यु दिनांक–17.01.2015 को हो गयी है उसके कायम मुकामान उसका लड़का अजीज सिंह है। इनके अलावा उनका अन्य कोई कायम मुकाम नहीं है। अतः अजीज सिंह को मृतक राजबली सिंह का कायम मुकाम बनाकर निगरानी में संशोधन करने की अनुमति चाही गयी है।

सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। कायम मुकामी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जा चुका है। विपक्षीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है और न ही आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थनापत्र शपथ–पत्र से समर्थित है। न्यायहित में प्रार्थनापत्र 9क1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 9क1 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता निगरानी मेमों में वांछित संशोधन अन्दर सप्ताह करें। मृतक विपक्षी सं0–8 राजबली सिंह के वारिसान पर नोटिस की पैरवी अन्दर 07 दिन करें। पत्रावली दिनांक–06.01.2022 को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश हो।

(नेहा आनन्द)
तृतीय अपर जिला न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6316